परिक्षेत्र आजमगढ़

प्रेस नोट

दिनांक 27.09.2020

जनपद आजमगढ़

विगत एक माह में जनपद पुलिस द्वारा अपराधियों एवं विशेषकर असलहा तस्करों के विरुद्ध की गयी उल्लेखनीय कार्यवाही के लिए जनपद पुलिस को एक लाख रुपए के नगद पुरस्कार की घोषणा।

श्री अवनीश अवस्थी, अपर मुख्य सचिव, गृह महोदय द्वारा श्री सुधीर कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के नेतृत्व में लगभग विगत एक माह में जनपद पुलिस द्वारा अपराधी एवं अपराधियों विशेषकर असलहा तस्करों के विरुद्ध की गई उल्लेखनीय कार्यवाही के लिए जनपद पुलिस को एक लाख रुपए नगद पुरस्कर की घोषणा ।

आज दिनांक 27.09.2020 को श्री अवनीश अवस्थी अपर मुख्य सचिव गृह महोदय द्वारा जनपद पुलिस द्वारा अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध विगत एक माह में किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए नगद एक लाख रुपए देने की घोषणा की गई।

<u>जनपद पुलिस द्वारा उक्त अवधि में उल्लेखनीय कार्य किए गए:-</u>

1. जनपद में विगत एक माह में कुल 336 गंभीर अपराध करने वाला अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई।
2. इस अवधि में अग्नेय शस्त्र बेचने व प्रयोग करने वालों के खिलाफ चलाए गए अभियान में एक रिवाल्वर, 29 पिस्टल, 01 बंदूक, 76 तमंचे बरामद किए गए। इन में से 07 अपराधी कुख्यात

मुख्तार अंसारी गैंग के लोग अत्याधुनिक हथियार व कारतूस सप्लाई करने वाले भी शामिल हैं, जिनके कब्जे से 11 पिस्टल व एके-47 के भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए।

3. इस अवधि में जनपद के विभिन्न थानों क्षेत्रों की पुलिस टीमों से बदमशों के साथ 17 पुलिस मुठभेड़ भी हुई जिसमें कुल 29 ईनामिया, टाप टेन बदमाश गिफ्तार किए गए, जिसमें दो बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल भी हुए।

4. इस अवधि में 07 चार पहिया वाहन तथा 25 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई।

5. इस अवधि में अवैध शराब, मादक पदार्थ बनाने व बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की गई, जिसमें लगभग 2000 लीटर शराब तथा 12000 ग्राम से अधिक गांजा, स्मैक व अन्य नशीले पदार्थ बरामद हुए।

थाना निजामाबादः 10 लीटर कच्ची नाजायज शराब के साथ एक नफर अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़, सुधीर कुमार सिंह द्वारा अवैध व कच्ची शराब की तस्करी करने वालो की गिरफ्तारी के सम्बन्ध मे चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे दिये गये निर्देश के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक निजामाबाद अनवर अली खांन के कुशल नेतृत्व में उ0नि0 धनंजय प्रसाद शुक्ल मय हमराहीयान के देखभाल क्षेत्र में मामूर थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि कोडर पुलिया वहद ग्राम कोडर पर एक व्यक्ति कच्ची शराब बेचने के लिये जा रहा है कि मुखबीर खास की सूचना पर विश्वास करके उ0नि0 मय हमराहीयान द्वारा मौके पर पहुच कर चेकिंग किया जा रहा था कि कोडर के तरफ से आ रहे संदिग्ध व्यक्ति को रोककर कर पूछताछ किया गया तो अपना नाम इम्तयाज कुरैशी पुत्र स्व मुस्लिम कुरैशी सा0 तिग्गीपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ बताया तथा जामा तलाशी से अभियुक्त उपरोक्त के पास से एक एक प्लास्टिक की पिपिया में 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज शराब बरामद किया गया। जिसको समय करीब 20.00 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

इम्तयाज कुरैशी पुत्र स्वद मुस्लिम कुरैशी,

सा0 तिग्गीपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

बरामदगी-

10 लीटर कच्ची शराब नाजायज शराब

गिरफ्तार करने वाली टीम -

उ0नि0 धनंजय प्रसाद शुक्ला,
मय हमराहीयान थाना निजामाबाद, आमजगढ़।

थाना जीयनपुरः लूट की योजना बनाते दो बदमाश गिरफ्तार, चोरी की 02 बकरी व 02 अदद चाकू बरामद

दिनांक 26/27.9.20 को SI राजकुमार तिवारी मय हमराह के थाने से रवाना होकर विनावर रात्रि गश्त तलाश वाछित अभियुक्त संदिग्ध अपराधो में कस्बा अजमतगढ़ में मौजूद थे कि जरिये मुखविर खास सूचना मिली कि लक्ष्मी कूप तिराहे के पास कुछ बदमाश इकट्ठा होकर लूट पाट करने की योजना बना रहे है, यदि शीघ्रता की जाय तो पकड़े जा सकते है। इस सूचना पर विश्वास कर उ0नि0 मय हमराही मय मुखबिर अजतमगढ़ से तुरन्त रवाना होकर लक्ष्मी कूप तिराहे से लगभग 200 मी0 पूर्व मोटर साइकिल खड़ी कर मुखबिर के निर्देशानुसार लुक छिप कर लक्ष्मी कूप तिराहे पर आये कि मुखबिर ने इशारे से बताया कि लक्ष्मी कूप भवन के पीछे बदमाश छिपे है और मुखबिर चला गया कि पुलिस टीम छिपकर आहट लेने लगी कि तभी एक ने कहा कि चलो समय अधिक हो गया है, रोड से आने वाले किसी व्यक्ति से लूट पाट किया जाय और उठ कर खड़े हो गये। इस पर पूर्व यकीन हुआ कि यह लूटेरो का गिरोह है, जो लूट पाट करने जा रहा है कि पुलिस टीम द्वारा एक बारगी घेर घार कर आवश्यक बल प्रयोग कर मौके पर ही दो बदमाशो को पकड़ लिया गया तथा दो बदमाश अंधेरे व खेतो का लाभ लेते हुए भागने में सफल रहे। पकड़े गये बदमाशो का नाम पता पूछते हुये जामा तलाशी ली गयी तो एक ने अपना नाम सुफियान पुत्र मुस्तफा निवासी ग्रा0 चुनुगपार, थाना जीयनपुर, आजमगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष बताया, तलाशी से एक अदद चाकू लोहे का बरामद हुआ तथा दुसरे पकड़े गये व्यक्ति का नाम पता पूछने पर अपना नाम आजाद पुत्र जब्बार पता उपरोक्त उम्र करीब 22 वर्ष बताया

जिसके जामा तलाशी से उसके पहने हुये जिंस के पैण्ट से एक अदद चाकू लोहे का नाजायज मिला । भागे हुये हुये बदमाशो का नाम पता पूछा गया तो एक का नाम विशाल पुत्र राम अवध नि0 सुक्खपुर व दुसरे का नाम राम सिंगार चौहान S/0 रामकरन चौहान नि0 उमरी महावतगढ़ थाना जीयनपुर आजमगढ़ बताया। पकड़े गये बदमाशो से चाकू रखने के सम्बन्ध में लाईसेंस तलब करने पर नही दिखा सके। अभियुक्तगणो का यह कार्य अन्तर्गत धारा 398/401 IPC व 4/25 A Act का दण्डनीय अपराध है। अतः कारण गिरफ्तारी बताकर वाजाफ्ता बकायदा समय 00.30 बजे रात्रि हिरासत पुलिस में लिया गया।

<u>**गिरफ्तार अभियुक्तगण**</u>-

1. सुफियान पुत्र मुस्तफा निवासी ग्राम चुनुगपार थाना जीयनपुर आजमगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष
2. आजाद पुत्र जब्बार निवासी ग्राम चुनुगपार थाना जीयनपुर आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष

<u>**बरामदगी-**</u>

1. दो अदद चाकू नाजायज
2. दो राशि बकरी

<u>**पंजीकृत अभियोग-**</u>

1. मु0अ0सं0- 298/2020 धारा 398/401 IPC थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0- 299/2020 धारा 4/25 A Act थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
3. मु0अ0सं0- 300/2020 धारा 4/25 A Act थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

<u>**आपराधिक इतिहास**</u>-

मु0अ0सं0 296/2020 धारा 379/411 भादवि थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

<u>**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**</u>

1. उ0नि0 राजकुमार तिवारी थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
2. का0 अभिषेक कुमार यादव थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
2. का0 चित्रसेन सिंह थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

थाना तहबरपुरः एक वाँछित अभियुक्ता गिरफ्तार

दिनांक 24/9/2020 को श्री रविन्द्र यादव पुत्र जियालाल यादव ग्राम- सुदनीपुर थाना- तहबरपुर आजमगढ तहरीर दाखिल किये कि मेरे गांव के सुरेन्द्र यादव पुत्र धरमू यादव अपने घर से दूर बने खंडहर नुमा मकान को देखने के लिए गये हुए थे। खंडहर मकान मे किसी ने लैट्रिन कर दिया था । इसकी शिकायत बगल मे स्थित मेरे चचेरे भाई अभिमन्यु के घर जाकर करने लगे । अभिमन्यु ने कहा की मेरे घर से खंडहर की तरफ कोई नही गया था। इतने मे ही सुरेन्द्र काफी उत्तेजित हो गये तथा गाली देने लगे। कुछ देर बाद सुरेन्द्र के परिवार से धरमू s/o सुवेदार, विवेक s/o सुरेन्द्र , रीता w/o सुरेन्द्र मौके पर आ गये। सभी लोग एक राय होकर गाली गुप्ता देने लगे। जब गाली देने का अभिमन्यु द्वारा विरोध किया गया तो सभी लोग मिलकर अभिमन्यु को लठी डंडा तथा लात घूसा तथा फावडे से मारने लगे। बीच बचाव हेतु अभिमन्यु की पत्नी सुमित्रा, तथा सरिता पत्नी मनोज पहुँची तो उनको भी बुरी तरह से मारे पीटे है। जान बचाकर घर के अंदर भागे तो सभी मुल्जिमान घर के अंदर भी घुस कर बुरी

तरह से मारे पीटे है। मारपीट से अभिमन्यु के सिर मे आई–चोटो से अभिमन्यु मौके पर वेहोश हो गये है। शोरगुल सुनकर मै तथा गाँव के बहुत से लोग मौके पर पहुँचे। मुल्जिमान जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये । उक्त तहरीर पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 64/2020 धारा 323/504/506/452/308 भादवि पंजीकृत किया गया।

<u>गिरफ्तारी का विवरण</u>- आज दिनांक 27.9.20 को व0उ0नि0 बसन्त लाल मय हमराही कर्मचारीगण द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्ता रीता यादव पत्नी सुरेन्द्र यादव ग्राम सुदनीपुर थाना तहबरपुर, आजमगढ़ को सुदनीपुर मोड पर से गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

<u>पंजीकृत अभियोग का विवरण-</u>

मु0अ0सं0 64/2020 धारा 323/504/506/452/308 भादवि थाना तहबरपुर आजमगढ़।

<u>गिरफ्तार अभियुक्ता-</u>

1. रीता यादव पत्नी सुरेन्द्र यादव ग्राम सुदनीपुर थाना तहबरपुर, आजमगढ़उम्र करीब 40 वर्ष

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीम-</u>

1. व0उ0नि0 बसन्त लाल
2. का0 सुनील गुप्ता
3. म0का0 अभिलाषा द्विवेदी

थाना मेंहनगर/साइबर सेलः 14 फेसबुक की फर्जी आई0डी0 बनाकर पत्रकार एवं पत्रकार की पत्नी के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट करने वाला अभियुक्त वैशवारा न्यूज का सम्पादक रमाकांत पाण्डेय गिरफ्तार

दिनांक 01.09.2020 को वादी सुनील त्यागी पत्रकार ने थाना मेंहनगर पर लिखित तहरीर दिया की किसी व्यक्ति द्वारा भिन्न भिन्न नाम से कई फ़ेसबुक की फर्जी आईडी बनाकर मेरे एवं मेरी पत्नी के बारे में अश्लील एवं अपमानजनक पोस्ट किया जा रहा है । वादी के तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-132/20 धारा 509 भादवि व 67 आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक, आजमगढ, सुधीर कुमार सिंह द्वारा उक्त प्रकरण को तत्काल संज्ञान में लेते हुए प्रभारी निरीक्षक मेंहनगर व साईबर सेल को जांच कर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया, जिस पर साइबर सेल द्वारा जांच के उपरांत अभियुक्त रमाकान्त पाण्डेय पुत्र सत्यदेव पाण्डेय सा0 गोपालपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ का नाम प्रकाश में आया। दिनांक-27.09.2020 को प्र0नि0 प्रशान्त श्रीवास्तव के निर्देशन मे निरीक्षक अपराध राजेश कुमार मिश्र मय हमराह का0 पवन यादव, का0 संदीप जायसवाल, का0पवन यादव एवं साइबर सेल टीम द्वारा वाछित अभियुक्त रमाकांत पाडेय को गोपालपुर के पास से गिरफ्तार किया गया एवं उनके कब्जे से अपराध में संलिप्त मोबाइल को बरामद किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

<u>पंजीकृत अभियोगः-</u>

मु0अ0सं0-132/20 धारा 509 भादवी व 67 आईटी एक्ट थाना मेहनगर आज़मगढ़।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

रमाकान्त पाण्डेय पुत्र सत्यदेव पाण्डेय,

सा0 गोपालपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ

<u>बरामदगीः-</u>

1. एक अदद अपराध में संलिप्त मोबाईल

<u>गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1- नि0 अपराध राजेश कुमार मिश्र
मय फोर्स थाना- मेहनगर, आजमगढ़
2. प्रभारी साइबर सेल मय टीम